



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccfdevjkh@jharkhandmail.gov.in, Ph & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-13/2017- 275 दिनांक : 26-02-18

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
वन्यप्राणी प्रमंडल, राँची ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन प्रबंधन सुविधायें" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नियोजित दैनिक मजदूरों की मजदूरी भुगतान हेतु कुल **रु0 1,64,800/- (एक लाख चौंसठ हजार आठ सौ रुपये)** मात्र राशि का अतिरिक्त ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-21/2017-16/स्वी0 व0प0 दिनांक 26.05.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-21/2017-52/आ0 व0प0 दिनांक 31.05.2017, इस कार्यालय का पत्रांक-920 दिनांक-20.07.2017, पत्रांक-1068 दिनांक-18.08.2017 एवं पत्रांक-1622 दिनांक-07.12.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा वन्यप्राणी प्रमंडल, राँची को पूर्व में दैनिक वेतनभोगियों के लिए कुल **48,12,905/-रुपये** का उप-आवंटन किया गया था। इसके अतिरिक्त वर्तमान में 2 दैनिक वेतनभोगियों के लिए (एक मजदूर का नौ माह के लिए एवं एक मजदूर का एक माह के लिए) मजदूरी मद में **1,64,800/- (एक लाख चौंसठ हजार आठ सौ रुपये)** का उप-आवंटन की जा रही है।

2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 एवं ऑन-लाईन उप-आवंटन की प्रति अनुलग्नक-2 के रुप में द्रष्टव्य है।

3. पूर्व उप-आवंटित राशि के यह अतिरिक्त उप-आवंटन है। पूर्व उप-आवंटन के सभी शीर्ष एवं शर्त यथावत रहेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-13/2017-275 दिनांक- 26-02-18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-13/2017-275 दिनांक- 26-02-18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “वन प्रबंधन सुविधाएं योजना” (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत प्रमण्डलवार/कार्यालयवार कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों को भुगतान हेतु उप-आवंटित राशि

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	दैनिक वेतनभोगियों की संख्या	प्राक्कलित राशि
i	ii	iii	v
1	वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची	2	164800
	योग :-	2	164800

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चाहू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-13/2017/275

दिनांक - 26-Feb-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA	99906	DRNFWL049 KAMLESH PANDEY. IFS DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	164,800.00 रुपये एक लाख चौसठ हजार आठ सौ



योग:

164,800.00

क्रमिक योग:

रुपये एक लाख चौसठ हजार आठ सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. SECRETARY (NARS) RANCHI